

**- आदेश -**

उत्तर प्रदेश के बाहर से प्रान्त के अन्दर होते हुये प्रान्त के बाहर परिवहित होने वाले करयोग्य माल के संबंध में प्रभावी की गयी ऑनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) व्यवस्था के संबंध में फील्ड के अधिकारियों द्वारा कतिपय ट्रान्सपोर्ट / वाहन स्वामियों / व्यक्तियों द्वारा पूर्ण विवरण अंकित न करने या गलत रूप से अपलोड किये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड / कर निर्धारण में कठिनाई बतायी गयी है। इसके दृष्टिगत ऑनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) व्यवस्था का उपभोग करने वाले प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / व्यक्ति का पूर्ण एवं सही विवरण अपलोड कराने के साथ-साथ वाहन की आर0सी0, उसकी इश्योरेन्स पालिसी की अद्यतन प्रति व उनके पैनकार्ड की पठनीय स्कैन कापी अपलोड कराया जाना तथा परिवहित करयोग्य माल के रु0 5000/- अथवा इससे अधिक मूल्य के इनवायस का विवरण भी माड्यूल में अंकित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।

वैट अधिनियम की धारा 52 सपठित वैट नियमावली के नियम 58 के उपबन्धों के अधीन एवं पूर्व में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-स0द0-ट्रान्जिट पास / 1314041 दिनांक 03-09-2013 के क्रम में ऑनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) सुविधा का उपभोग करने हेतु ऑनलाइन पंजीयन तथा उक्त सुविधा के उपयोग की व्यवस्था दिनांक 20-01-2015 से निम्नवत् प्रभावी की जाती है :-

2- ऑनलाइन टी0डी0एफ0 व्यवस्था का लाभ उठाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति / वाहन स्वामी एवं ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन को वाणिज्य कर की वेबसाइट comtax.up.nic.in पर पंजीकृत कराने हेतु ऑनलाइन प्रार्थना पत्र में अपने पूर्ण विवरण के साथ-साथ वाहन की आर0सी0, वाहन के इश्योरेन्स पालिसी की अद्यतन प्रति तथा वाहन स्वामी एवं ट्रान्सपोर्टर के पैनकार्ड की स्कैन प्रति, जो सभी पठनीय एवं स्वप्रमाणित होगी, अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोडेड सूचना / प्रपत्रों को साफ्टवेयर के द्वारा स्वतः सचलदल इकाइयों में से किसी एक के प्रभारी असिस्टेन्ट कमिश्नर का चयन करके उसके लॉगइन आई0डी0 पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- प्रदेश में कार्यरत 150 सचलदल इकाइयों के समस्त प्रभारी असिस्टेन्ट कमिश्नर को उक्त अपलोडेड सूचना / प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अध्ययन, परीक्षण एवं सत्यापन करते हुये ऑनलाइन निस्तारण किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जो निम्नानुसार उक्त कार्य पूर्ण करेंगे।

- I. वाहन की स्कैन आर0सी0 में घोषित चेसिस संख्या माड्यूल में अंकित संख्या से मैच कर रही है अथवा नहीं,
- II. वाहन इश्योरेन्स की स्कैन प्रति में घोषित वैधता तिथि, वाहन स्वामी का नाम व पता माड्यूल में अंकित विवरण से मैच कर रहा है अथवा नहीं, एवं
- III. वाहन स्वामी एवं ट्रान्सपोर्टर के पैन कार्ड की स्कैन प्रति में अंकित नम्बर माड्यूल में अंकित पैन से मैच कर रहा है अथवा नहीं का निर्धारण करें।

4 उपर्युक्त परीक्षण एवं सत्यापन कार्य के लिये आवेदक को किसी भी दशा में कार्यालय में आहूत नहीं किया जायेगा। उक्त विवरण मैच करने की दशा में नामित अधिकारी पंजीयन प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेंगे जिसके उपरान्त सिस्टम के द्वारा स्वतः पासवर्ड वाहन स्वामी एवं ट्रान्सपोर्टर के मोबाइल नम्बर पर प्रेषित हो जाएगा। विवरण मैच न करने की दशा में अधिकारी माड्यूल में संक्षिप्त कारण अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देंगे।

ml

संबंधित नामित अधिकारी अपनी लॉगइन आईडी पर पंजीयन हेतु सूचना / प्रपत्र अपलोड होने पर अगले कार्य दिवस तक उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।

5- जो वाहन पहले से टी0डी0एफ0 के लिये पंजीकृत है, उन्हें उपर्युक्त प्रस्तर स0-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 20-02-2015 के पूर्व अपना विवरण दिया जाना / अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा जिसे प्रस्तर - 3/4 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नामित अधिकारी सत्यापित / निस्तारित करेंगे। वाहन के इश्योरेंश की अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीकृत इश्योरेंश का विवरण तथा उसकी स्कैन की गयी स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जाएगी अन्यथा टी0डी0एफ0-1 डाउनलोड करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त विवरण/ प्रपत्र अपलोड करने और प्रस्तर-3/4 के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा सत्यापित /निस्तारित किये जाने के बाद ही टी0डी0 एफ0 -1 डाउनलोड की सुविधा का पुनः उपभोग किया जा सकेगा।

6- इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2015 से ऑनलाइन टी0डी0एफ0-1 अपलोड करते समय ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / व्यक्ति को संबंधित वाहन द्वारा परिवहित किये जाने वाले टी0डी0एफ0 से संबंधित ऐसे सभी प्रकार के करयोग्य माल, जिनका मूल्य रु0 5000/- अथवा इससे अधिक है, के इनवायस / बिलों से संबंधित क्रेता तथा विक्रेता का नाम, टिन नम्बर, माल का नाम, संबंधित इनवायस / बिल का क्रमांक व दिनांक तथा मूल्य को टी0डी0एफ0-1 में अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि क्रेता अपंजीकृत है तो टिन नम्बर के स्थान पर पूर्व की भाँति इस फील्ड में 09 लिखकर इसके बाद नौ बार शून्य लिखना होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

*mm*  
15.2.2015  
(मृत्युंजय कुमार नागयण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ। दो प्रतियों में।
5. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समाप्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
6. समाप्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0 मुख्यालय, लखनऊ।
7. समाप्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
8. समाप्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
9. समाप्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0) / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. समाप्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
11. अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
12. महालेखाकार, छुटा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
13. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्जिता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
14. प्रबन्धक, इमेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
15. समाप्त आन्तरिक सम्मरीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

11. अपरनिदेशक, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वार्षिक कर प्रशिक्षण संस्थान, गोगली नगर, लखनऊ ।
12. महालेखाकार, उद्योग, केंद्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
13. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठात्र, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
14. प्रबन्धक, इमेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
15. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वार्षिक कर, उ०प्र० ।
16. सीनियर डिप्टी फ्लॉउन्टेंड जनरल, देवेन्यू आडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नाथदु मार्ग, इलाहाबाद।
17. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रॉसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
18. एडीशनल कमिश्नर - ग्रेड-2 / ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/अरिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय (कार्य) गाजियाबाद ।
19. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०उत्तरा०) लखनऊ/ इलाहाबाद।
20. समस्त वनाभाग अधिकारी, वार्षिक कर, मुख्यालय ।
21. अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बोरामण्डी, लखनऊ।
22. अधिष्ठात्री निदेशक, उद्योग वस्तु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
23. श्री हुवास राय मिश्र, राष्ट्रीय अध्यापक समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इरिटेर, देवधरे रोड, देवधर (राज्य नगर)।
24. श्री श्याम विद्यारं मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्यानगर, सगीत टाकिंग के पीछे कानपुर ।
25. श्री बनवारी लाल कंडल, अध्यापक, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंडल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
26. श्री गदीप बंचल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दादरलसादा वरधनऊ।
27. मेम्वर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
28. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोगली नगर लखनऊ ।
29. पी एन डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
30. अच्य भोम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
31. आल इन्डिया गैन्सुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।
32. कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० गिराला नगर, लखनऊ ।
33. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यो /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यो को सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर कार्यालय, माध्यम से।
34. प्रदेश प्रमुख वस्तु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
35. श्री जयन्त कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय) राज, कानपुर विचार, निकट जयलाल क्लब, गाजियाबाद ।
36. श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
37. श्री मदन मोहन भारतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 विरमजत रोड कानपुर ।
38. प्रो० ए० सुरेन्द्र नाथ श्रीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
39. प्रो० रामजी राजवा फककड, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
40. डा० देवी लाल साथी, ए 5/15/79 अन्ना नगर, लखनऊ ।
41. श्री बी०पी० राय, एडवोकेट, अध्यापक, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिमरा (वाराणसी)।
42. श्री अशोक धवन सी के 24/1 कुंजगन्धी, चौक, वाराणसी ।
43. श्री पी०एस० जैन, 138 ए ब्लॉक ए, सेक्टर 27 नोयडा ।
44. श्री ब्रिज बाबला पट्टा सचिव, (पार्श्वी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलकल गण्डी राक्षसपुर ।
45. श्री आन०टी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
46. श्री संगीष कुमार (पनागा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०जा०पा० निवासी 60 नाहनन्द इलाहाबाद ।
47. श्री जैवेश मिश्रा, महासचिवी, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
48. इन्डियन इण्ड० एसो०, 139/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, गु०नगर ।
49. संयोजक, टैक्सोशियो एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैम्पबाग रोड मेरठ।
50. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार एस जयपुर हाऊस, आगरा ।
51. श्री गतिक विजय कुमार, मेयरसन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०पा० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
52. श्री अनिल कुमार बंसाल दि यू०पी० ग्रेटर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
53. श्री निवेश अयोग उ०प्र० वाराणसी प्रोद्युसर्स एसो० 51/58-ए शतकर पट्टी कानपुर ।
54. शासन लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टैक्स व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
55. श्री जयन्त कुमार प्रबन्धक, राष्ट्रीय संगठन नन्दी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पी जी० सी-29) विभाजन कानपुर, कानपुर सहा, लखनऊ ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

57. श्री विमेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ.
58. अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
59. वेट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
60. वीरेंद्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय जमानावला
61. मोदरा सादाबाद गेट, हाथरस।
62. सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
63. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
64. श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोटा मण्डी श्यामबाद।
65. श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉल्मीज केपीडो बंगलू.
66. श्री मनीष शर्मा का मैनजिमेन्ट हाउस, आगरा-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
67. श्रीमती ज्यु निशा, इन्डु फाब्रिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद।
68. श्री बी०एन० शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
69. श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
70. श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)।
71. श्री अरविन्द कावरा, सदस्य वेट एडवाइजरी कमेटी, उराखण्ड।
72. श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोयडा।
73. अध्यक्ष, राइस एक्सापोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
74. अध्यक्ष, यू०पी० मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
75. अध्यक्ष / सचिव, वेस्टर्न यू०पी० नेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ।

  
(वी०के० शर्मा)  
16.01.2015

जवाहरत कमिश्नर (संवर्तन) वाणिज्य क.  
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश